



**Maharana Pratap University of Agriculture &  
Technology, Udaipur-313 001**

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर-313 001

क्रमांक- 01/2023

दिनांक - 3 फरवरी, 2023

**विज्ञापन**

विश्वविद्यालय में गैर अनुसूचित व अनुसूचित क्षेत्र में विभिन्न पदों यथा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), कृषि पर्यवेक्षक, पोल्ट्री सहायक, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरी सहायक तथा क्लर्क ग्रेड-II पर नियुक्ति हेतु online आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट [www.rcaudaipur.com](http://www.rcaudaipur.com) पर उपलब्ध है। आवेदक वेबसाइट [www.rcaudaipur.com](http://www.rcaudaipur.com) पर लॉग इन कर दिनांक 9 फरवरी, 2023 से 14 मार्च, 2023 के मध्य online आवेदन कर सकते हैं। Online आवेदन की अन्तिम तिथि 14 मार्च, 2023 रात्रि 12.00 बजे तक रहेगी। निर्धारित समयावधि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

इस विज्ञापन के पश्चात् उपरोक्त पदों पर भर्ती व परीक्षा सम्बन्धित सभी जानकारी वेबसाइट [www.rcaudaipur.com](http://www.rcaudaipur.com) पर देखी जा सकेगी। विज्ञापन के संबंध में समाचार पत्रों में और कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जाएगी।

  
कुलसचिव



(जैसे- आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।


6. राजस्थान राज्य से भिन्न, देश के अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अ.पि.व./आ.क.व. अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।
7. विश्वविद्यालय द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में विशेष योग्यजन (निःशक्तजन), भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा परन्तु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी हैं, उसे उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा, जिसमें से 8 प्रतिशत विधवा महिला अभ्यर्थियों तथा 2 प्रतिशत परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।
8. किसी वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।  
किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्त पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।  
विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपनी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विच्छिन्न विवाह की माननीय न्यायालय से जारी डिक्री प्रस्तुत करनी होगी।
9. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् जारी किया हुआ होना चाहिए।
11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
12. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।
13. राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
14. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिए

  
SUDHANSHU SINGH  
REGISTRAR  
MPUAT, UDAIPUR (RAJ.)

- a. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2020 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा केवल निःशक्तजन श्रेणी में 4 प्रतिशत उक्त पदों हेतु आरक्षण का लाभ देय है।
- b. विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
- c. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2018 के अनुसार भरा जावेगा।
15. उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान: कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 15.03.2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ी" की योग्यता निर्धारित की जायेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार देय होगा।
16. विज्ञापन जारी होने के उपरांत विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। उपरोक्त रिक्तियों को भरने या नहीं भरने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-**

क्र.सं.	पद	शैक्षणिक योग्यता
1	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	Good II Class Diploma in subject
2	कृषि पर्यवेक्षक	Senior Higher Secondary with Agriculture from a recognized Board
3	पोल्ट्री सहायक	Senior Higher Secondary with Agriculture from a recognized Board
4	प्रयोगशाला सहायक	Higher Secondary/ Sr. Higher Secondary or its equivalent examination passed with Science including Ag. Science from a recognized Board/University.
5	लाइब्रेरी सहायक	Graduate with B. Lib. Science from a recognized University and knowledge of Computer Typing, Desirable: - Experience of working in University/College Library.
6	क्लर्क ग्रेड-II	(A) Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent Examination, and (B) "O" or Higher level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. OR Certificate course on Computer Concept by NIELIT, New Delhi. OR Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme. OR Degree/ Diploma/Certificate in Computer Science / Computer Application from a University established by law*in India or from an institution recognized by the Government. OR Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government.

  
**SUDHANSHU SINGH**  
**REGISTRAR**  
**MPUAT, UDAIPUR (RAJ.)**

		OR Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.
--	--	---

**आयु :-**

आवेदक आवेदन की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि ऊपर उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में -

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
4. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों/विश्वविद्यालयों के 'संबंध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर नियुक्त कार्मिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
5. भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यताधारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी।
6. विधवाओं और विछिन्न-विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
7. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारियों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2018 के अनुसार विशेष योग्यजन को अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी।

उपरोक्त आयु संबंधी वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित किसी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों में विहित छूट जोड़कर छूट का लाभ देय नहीं होगा। परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ए. 7 (2) डीओपी/ए-II/84 पार्ट दिनांक 23.09.2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31.12.2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31.12.2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जायेगा।

**विवाह पंजीयन** - राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

**अन्य योग्यताएँ :-**

1. **स्वास्थ्य :-** उक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
2. **चरित्र :-** सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हों और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुए नहीं हो।

SUDHANSU SINGH  
REGISTRAR  
MPUAT, UDAIPUR (RAJ.)

### नियुक्ति के लिये अयोग्यता :-

1. किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि विश्वविद्यालय संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि विश्वविद्यालय संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
3. किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा यदि अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।
4. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पाएँगे।
5. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।  
परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती।  
परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

### अनुचित साधनों की रोकथाम :-

परीक्षार्थी को विभाग/केन्द्राधिक्षक/अभिजागर (Invigilator) अथवा विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों को प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध विभाग/केन्द्राधीक्षक, जो उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा ऐसे परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

### वेतनमान :-

राज्य सरकार के नियमानुसार चयनित व्यक्तियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा काल में रखा जावेगा जिसके दौरान मासिक पारिश्रमिक देय होगा। उन्हे कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। परिवीक्षा अवधि संतोषपूर्वक पूर्ण करने पर सातवें वेतनमान के अनुसार निम्न वेतन निर्धारित किया जायेगा। परिवीक्षा काल के दौरान पद छोड़ कर नहीं जाने का नियमानुसार बॉड भरा जाएगा।

1	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	Pay Matrix L-10
2	कृषि पर्यवेक्षक	Pay Matrix L-5
3	पोल्ट्री सहायक	Pay Matrix L-5
4	प्रयोगशाला सहायक	Pay Matrix L-8
5	लाइब्रेरी सहायक	Pay Matrix L-8
6	क्लर्क ग्रेड-II	Pay Matrix L-5

  
SUDHANSHU SINGH  
REGISTRAR  
MPUAT, UDAIPUR (RAJ.)

**आवेदन करने की अंतिम तिथि :- 14 मार्च, 2023 मध्य रात्रि 12:00 तक**

- परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने हैं। कोई भी आवेदक इस हेतु वेबसाईट [www.rcaудаipur.com](http://www.rcaудаipur.com) पर निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वेबसाईट [www.rcaудаipur.com](http://www.rcaудаipur.com) पर उपलब्ध रहेगी।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2023 से 14.03.2023 के मध्य रात्रि 12:00 तक भरे जा सकते हैं और इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन की प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करनी है।

**निर्धारित समयावधि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।**

**विशेष :-**

- आवेदक को आवेदन, परीक्षा प्रवेश संबंधी एवं अन्य सूचनाएं वेबसाईट [www.rcaудаipur.com](http://www.rcaудаipur.com) के माध्यम से सूचित की जायेगी।
- यदि कोई आवेदक आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर उपरोक्त पद के लिए उल्लेखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करता है तो परीक्षा के लिए अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त योग्य होगा तथा ऐसे आवेदकों को उनके द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क, जिसमें आवेदन शुल्क सम्मिलित है, प्रतिदाय (Refund) नहीं किया जायेगा।
- किसी तरह की कठिनाई/पूछताछ हेतु आवेदक हेल्पलाईन नम्बर 0294-2471302 पर सम्पर्क करें।
- भर्ती हेतु वेबसाईट [www.rcaудаipur.com](http://www.rcaудаipur.com) पर उपलब्ध सूचना से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

**परीक्षा योजना :**

- विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)/कृषि पर्यवेक्षक/पोल्ट्री सहायक/प्रयोगशाला सहायक/लाइब्रेरी सहायक पदों हेतु लिखित परीक्षा एक ही चरण में आयोजित की जायेगी।
- क्लर्क ग्रेड -II पद हेतु 2 फेज में परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रथम फेज में सफल आवेदकों का द्वितीय फेज में Type- Writing on Computer परीक्षण होगा।
- प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (Objective-type) होगा।
- लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम वेबसाईट [www.rcaудаipur.com](http://www.rcaудаipur.com) से प्राप्त किये जा सकते हैं। पाठ्यक्रम वेबसाईट पर यथोचित समय पर उपलब्ध होगा।

**परीक्षा का माह एवं स्थान :**

1. लिखित परीक्षा की सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध करवाई जायेगी। इस हेतु कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। आवेदक निरन्तर वेबसाईट का अवलोकन करते रहे।
2. लिखित परीक्षा उदयपुर में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप राज्य के अन्य सम्भागीय मुख्यालय पर परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

  
**SUDHANSHU SINGH**  
**REGISTRAR**  
**MPUAT, UDAIPUR (RAJ.)**

परीक्षा शुल्क : आवेदक को अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क ऑनलाईन जमा करवाना होगा। परीक्षा शुल्क जमा नहीं होने पर आवेदन स्वीकृत नहीं होगा।

	पद	सामान्य/ पि.व./अ. पि.व /आ.क.व	अ. ज./अ. ज.जा./विशेष योग्यजन (राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी)
1	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	1200	600
2	कृषि पर्यवेक्षक	1000	500
3	पोल्ट्री सहायक	1000	500
4	प्रयोगशाला सहायक	1200	600
5	लाइब्रेरी सहायक	1200	600
6	क्लर्क ग्रेड-II	1000	500

नोट:-

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
2. फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जायेगी।
3. फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

प्रवेश पत्र : महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.rcaudaipur.com](http://www.rcaudaipur.com) पर प्रवेश पत्र जारी किये जाने की सूचना उपलब्ध करवाई जायेगी। आवेदक User id व Password की सहायता से अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त कर सकेगा।

कुलसचिव  
SUDHANSHU SINGH  
REGISTRAR  
MPUAT, UDAIPUR (RAJ.)